जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट–प्लान) की 149 वीं बैठक दिनांक 03.06.2010 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। एजेण्डा संख्या 2, 3, 4, 5 एवं 8 वननि (बीपीसी) द्वारा तथा एजेण्डा संख्या 1, 6 एंव 7 वननि (प्रोजेक्ट) द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसका संकलित कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:–

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्रीमति गायत्री ए. राठौड, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री एच.एस. संचेती, निदेशक आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
3. श्रीमती दुर्गा जोशी, अति. आयुक्त (भूमि एवं आवाप्ति), जविप्रा, जयपुर।
4. श्रीमती शुचि शर्मा, अति. आयुक्त (प्रशासन) जविप्रा, जयपुर।
5. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी), जविप्रा, जयपुर।
6. श्री पी. अरविंद, वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट), एवं सदस्य सचिव, जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे–

1. श्री गिरिराज अग्रवाल, उपायुक्त जोन–1, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री राजेन्द्र विजय, उपायुक्त जोन–4, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री गिरिश पाराशर, उपायुक्त जोन–5, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री एस. मित्रा, उपायुक्त जोन–7, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री अनंत देव टांक, उप नगर नियोजक (जोन–1), जविप्रा जयपुर।
6. श्री सुभाष चन्द शर्मा, उप नगर नियोजक (एल.पी.), जविप्रा जयपुर।
7. श्री प्रेम शंकर, उप नगर नियोजक (बीपीसी–एल.पी.), जविप्रा जयपुर।
8. श्री नवरतन कोली, तहसीलदार, (जोन–1), जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरण:–

एजेण्डा संख्या:–1

149 / 03.06.2010

विषय:–बीपीसी बीपीसी (ले आउट प्लान) 148 वीं बैठक दिनांक के 10.05.10 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि के सबंध में।

कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई तथा बीपीसी (एलपी) की बैठक क्रमांक 148 वीं दिनांक 10.05.2010 के कार्यवाही विवरण के एजेण्डा संख्या 3 हथरोई गढी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना महेश नगर में भूखण्ड संख्या ए–15 का उल्लेख किया गया है जबकि यह भूखण्ड सुख्या एफ–15 है। इसलिए कार्यवाही विवरण में उल्लेखित भूखण्ड संख्या ए–15 को संशोधित कर एफ–15 महेश नगर किया जावे।

<u>एजेण्डा संख्याः–2</u>

149 / 03.06.2010 (जोन–1)

विषयः–दी फोरेस्ट व्यू गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना अशोक बिहार, मालवीय नगर योजना के अनुमोदन के सबंध में।

प्रकरण को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। योजना में निम्न ब्लॉकों की ही 90बी हुई है इसलिए विचार विमर्श पश्चात् निम्न ब्लॉकों के भूखण्डों को निम्नानुसार शर्तो के अनुसार स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

<u>ब्लॉक</u>

- इस ब्लॉक में भूखण्ड संख्या भूखण्ड ए–'1, ए–2, ए–3, ए–4, ए–5 प्रस्तावित हैं। इन भूखण्डों के सामने सडक की चौडाई 25' है इसलिए सडक की चौडाई 30' की जाकर इन भूखण्डों को स्वीकृत किया जावे।

<u>ब्लॉक</u>

- इस ब्लॉक में भूखण्ड संख्या डी–1 से डी––5, डी–10 से डी–12 भूखण्ड प्रस्तावित है। भूखण्ड संख्या डी–1 में मस्जिद है इसलिए इस भूखण्ड को अस्वीकृत किया जावे। भूखण्ड संख्या डी–12 डी–13 के पूर्व की ओर सेक्टर प्लान में 80' चौडी सडक प्रस्तावित है। इसलिए 80' चौडी सडक में भूमि लिये जाने के पश्चात् इन भूखण्डों की शेष भूमि में सैटबैक छोडने के पश्चात् आच्छादित क्षेत्र उपलब्ध होने के पश्चात् ही स्वीकृत किया जावे। अन्यथा अस्वीकृत किया जावे इस ब्लॉक के शेष भूखण्डों को स्वीकृत किया जावे।

<u>ब्लॉक</u>

- इस ब्लॉक में भूखण्ड संख्या डी–14 से डी–18 है। इन भूखण्डों के पूर्व की ओर 80' चौडी सडक प्रस्तावित है। इसलिए 80' चौडी सडक में भूमि लिये जाने के पश्चात् इन भूखण्डों की शेष भूमि में सैटबैक छोडने के पश्चात् आच्छादित क्षेत्र उपलब्ध होने के पश्चात् ही स्वीकृत किया जावे। आच्छादित क्षेत्र उपलब्ध नही होने पर इन भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावे।

ब्लॉक

- इस ब्लॉक में भूखण्ड संख्या सी–11, सी–12, सी–13, सी–13ए प्रस्तावित हैं। भूखण्ड संख्या 11 में सैटबैक छोडने के पश्चात् आच्छादित क्षेत्रफल नहीं मिलता है इसलिए भूखण्ड संख्या सी–11 व सी–12 को एक किया जावे। इस सबंध में दोनों भूखण्डस्वामियों द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। भूखण्ड संख्या सी–13ए के सामने पर्याप्त चौडाई की सडक उपलब्ध नहीं है। इसलिए भूखण्ड संख्या सी–13ए को अस्वीकृत किया जावे। भूखण्ड संख्या सी–13 में वाणिज्यिक उपयोग हटने के पश्चात् ही नियमन किया जावे।

एजेण्डा संख्याः–3
149/03.06.2010 (जोन–4)

विषयः– हथरोई न्यू पिंक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना सिद्धार्थ नगर एच–ब्लॉक के योजना मानचित्र अनुमोदन के सबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। उपायुक्त जोन द्वारा समिति के सदस्यों को अवगत कराया कि योजना मानचित्र में पीले रंग से दर्शाये गये भूखण्डों के क्षेत्र का वाद न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण को पूर्व में बीपीसी(एलपी) की बैठक में विचारार्थ रखा गया था जिस समय विकास समिति ने दिनांक 22.01.2003 को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। जिसका अवलोकन समिति के सदस्यों ने किया तथा विकास समिति द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र का भी अवलोकन किया । योजना मानचित्र में सुविधा क्षेत्र दर्शाये गये थे अतः समिति ने विचार विमर्श कर निम्नशर्तों के साथ योजना को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गयाः–

1. ब्लॉक एबीसीडीईईएफजी व एचआईजेके जो कि पीले रंग से दर्शाये गये है इन भूखण्डों का न्यायालय में वाद लम्बित है उन भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावे।
2. सहकारी समिति के पूर्व योजना मानचित्र में दर्शित सुविधा क्षेत्र को यथावत रखते हुए इन सुविधा क्षेत्र में प्रस्तावित भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावे। जो कि निम्नानुसार हैः– एच–147 से एच–153, एच–270ए, एच–271, एच–272, एच–335 से एच–336, एच–336ए एच–337 से एच–339, एच–348 से एच–349, एच–350, एच–350ए, 351, एच–352 ।
3. खसरा नम्बर 258 जविप्रा की भूमि है इसलिए इसमें दर्शित भूखण्ड संख्या 273 व 458 जो कि मौके पर रिक्त हैं तथा भूखण्ड संख्या 275 नाले से प्रभावित है इसलिए इन भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावे।

4. 30′–40′ चौडी सडकों पर जहां पर काश्तकारों द्वारा रास्ता अवरूद्ध किया हुआ है उन भूखण्डों का नियमन रास्ता साफ होने के पश्चात् ही किया जावे।
5. जिन भूखण्डों में व्यावसायिक गतिविधियों चल रही हैं उनमें व्यावसायिक गतिविधियां हटने के पश्चात् ही नियमन किया जावे।
6. जिन भूखण्डों में सैटबैक छोडने के पश्चात् आच्छादित क्षेत्रफल नहीं मिलता है उन्हें अस्वीकृत किया जावे।
7. 80′ चौडी सडक से प्रभावित भूखण्डों का क्षेत्र सडक की चौडाई में आने वाले क्षेत्र को कम कर नियमन किया जावे।
8. भूखण्ड संख्या एच–192, एच–230, एच–231, ओर एच–272 नाले के किनारे पर होने से इन भूखण्डों का नियमन नहीं किया जावे। भूखण्ड संख्या एच–147, एच–148, 271 आंशिक रूप से नाले से प्रभावित है इसलिए नाले के भाग को कम करते हुए आंशिक भाग को ही स्वीकृत किया जावे।

एजेण्डा संख्या–4
149 / 03.06.2010 (जोन–5)

विषयः–पथिक भवन निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की योजना स्कीम नम्बर–12–बी के भूखण्ड संख्या जे–37 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या–5
149 / 03.06.2010 (जोन–5)

विषयः–करतापुरा पथिक भवन निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की योजना 10–बी के भूखण्ड संख्या 183–ए को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के सबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। चूँकि भूखण्ड मौके पर रिक्त है इसलिए विचार विमर्श पश्चात् भूखण्ड को सुविधा क्षेत्र से मुक्त नहीं किए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या–6
149 / 03.06.2010 (जोन–7)

विषयः– आनन्द भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गांधी कोलोनी, खातीपुरा के भूखण्ड संख्या 9, 10 व 13 को अनुमोदन किये जाने के संबंध में।

प्रकरण भवन मानचित्र समिति (एलपी) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प–3(55) नविवि/03/05/पार्ट जयपुर दिनांक 28.10.09 द्वारा निर्देशित किया गया है कि ''आनंद भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गांगा कोलोनी के भूखण्ड संख्या 9, 10 एवं 13 का नियमन किया जा चुका है अतः तदअनुसार नक्शे मे त्रृटिपूर्ण ढंग से लगाये गये क्रोसेज को हटाकर बीपीसी के पूर्व निर्णय दिनांक 05.09.01 की क्रियान्विति सुरक्षित करते हुये उक्त भूखण्डों के आवंटन पत्र जारी करने की कार्यवाही की जावे।''

समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के उक्त पत्र दिनांक 28.10.09 की अनुपालना में योजना मानचित्र में भूखण्ड संख्या 9, 10 एवं 13 में लगाये गये क्रोसेज को हटाकर योजना मानचित्र में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या–7

149/03.06.2010 (जोन–7)

विषयः–सेक्टर 48–49 में प्रस्तावित 60 मीटर सडक का एलाइमेन्ट बाबत्।

प्रकरण भवन मानचित्र समिति (एलपी) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति के समक्ष श्री नारायण सिंह भाटी, श्री हनुमान सिंह भाटी एवं श्री हनुमंत सिंह भाटी उपस्थित होकर प्रकरण के सबंध में अपना पक्ष रखते हुये प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त प्रतिवेदन के परीक्षण हेतु उपायुक्त 7 को निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त विचाराधीन प्रकरण में सेक्टर 48–49 में प्रस्तावित 60 मीटर सडक के प्रश्नगत अलाईन्मेंट के सबंध में ड्राफ्ट सेक्टर प्लान आरजेडपी/जेडीए/2005/15 में दर्शाये गये रोड अलाईन्मेंट एवं ड्राइंग संख्या जेडीए/2007/10 में दर्शाई गई रोड के अलाईन्मेंट में निजी खातेदारों की आने वाली भूमि की पृथक पृथक गणना कर वस्तु स्थिति से समिति को अवगत कराने हेतु उपायुक्त 7 को निर्देशित किया गया।

प्रकरण को आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या–8

149/03.06.2010 (जोन–9)

विषयः–शिव ओफिसर्स कोलोनी सी ब्लॉक में भूखण्ड संख्या सी–56 के सैटबैक के परिवर्तन के संबंध में्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। इस योजना में भूखण्ड संख्या 56 के ब्लॉक की स्थिति तथा भूखण्ड संख्या 70 के ब्लॉक की स्थिति समान है। भूखण्ड संख्या 70 को पूर्व में बीपीसी की बैठक में इस भूखण्ड के सामने 20' सैटबैक को 10'–0'' सैटबैक किए जाने का निर्णय लिया गया था। भूखण्ड संख्या सी–56 कोर्नर का भूखण्ड है इसलिए इस भूखण्ड में 2 साइड में 20'–20' का सेटबैक प्रस्तावित है जिसके कारण इस भूखण्ड में सैटबैक

छोडे जाने के पश्चात् आच्छादित क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं होता है इसलिए भूखण्ड संख्या 56 के पूर्व में 40′ सडक की ओर 20′ सैटबैक को 10′–0″ किए जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले–आउट प्लान)
जविप्रा,जयपुर।

क्रमांक :– जविप्रा / सदस्य सचिव बीपीसी (एलपी) / प्रोजेक्ट / 2010 / डी–164

दिनांक :– 7/6/10

प्रतिलिपि :–

1. अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
4. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
5. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अति0 आयुक्त (पूर्व) / (पश्चिम) / (एलपीसी) / (भूमि), जयपुर।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट / बीपीसी),जविप्रा, जयपुर।
8. उपायुक्त जोन.......जविप्रा, जयपुर।
9. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
10. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले–आउट प्लान)
जविप्रा,जयपुर।